

माननीय श्री एन. के. सोधी और एन. के. सूद न्यायमूर्ति के समक्ष
परमवीर सिंह, -याचिकाकर्ता
बनाम

पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़ और अन्य-उत्तरदाता
2000 का सी. डब्ल्यू. पी. सं. 9414
17अगस्त, 2000

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद 226-इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में प्रवेश-खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीट के लिए प्रवेश के लिए आवेदन करने वाली याचिकाकर्ता और प्रतिवादी संख्या 4-प्रतिवादी संख्या 4 विवरण पत्रिका के खंड 2.2.5.3 द्वारा आवश्यक आवेदन पत्र के साथ खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र की प्रति जमा करने में विफल रही, हालांकि उसके पास एक था और उसने खेल विभाग-कॉलेज के साथ उन्नयन के लिए आवेदन किया था, जो परामर्श के समय प्रस्तुत किए गए उसके श्रेणीकरण प्रमाण पत्र पर विचार करने के बाद प्रत्यर्थी को प्रवेश प्रदान करता था-प्रत्यर्थी जो प्रवेश का हकदार नहीं था क्योंकि उसके अपूर्ण आवेदन पर विवरण पत्रिका के खंड के संदर्भ में विचार नहीं किया जा सकता था-प्रवेश दिया गया।

खेल श्रेणी के तहत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से रिक्तियों को भरने के निर्देश के साथ उसे रद्द कर दिया गया।

निर्धारित किया कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र के साथ पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपना आवेदन दाखिल किया था और यह हर तरह से पूर्ण था। प्रत्यर्थी संख्या 4 ने 29 जून, 2000 को प्रवेश के लिए आवेदन किया था, जो आवेदन हालांकि समय के भीतर विवरण पत्रिका के खंड 2.2.5.3 द्वारा आवश्यक खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र के साथ नहीं था। यह प्रमाण पत्र अपने स्वयं के प्रदर्शन पर उनके द्वारा 18 जुलाई, 2000 को परामर्श के समय प्रस्तुत किया गया था। चूंकि प्रत्यर्थी संख्या 4 का आवेदन पूरा नहीं हुआ था, इसलिए विवरण पत्रिका के उपरोक्त खंड के संदर्भ में उस पर विचार नहीं किया जाना चाहिए था, चाहे उम्मीदवार की योग्यता कुछ भी हो। हो सकता है कि प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत प्रमाणपत्र सी-II याचिकाकर्ता की तुलना में ग्रेड में अधिक था, लेकिन यह उसे प्रवेश का हकदार नहीं बनाएगा क्योंकि वह आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था।

(पैरा 2)

इसके अलावा यह निर्धारित किया गया कि रिट याचिका की अनुमति दी गई है और प्रतिवादी संख्या 4 को दिए गए प्रवेश को रद्द कर दिया गया है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को खेल श्रेणीकरण में उनकी योग्यता के आधार पर खेल श्रेणी में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से परिणामी रिक्ति को भरने का निर्देश दिया जाता है।

(पैरा 5)

सूर्यकांत, याचिकाकर्ता के वकील

आर. एन. रैना, प्रतिवादीगण संख्या 2 और 3 के लिए अधिवक्ता।

अमृत पॉल, प्रतिवादी संख्या 4 के लिए अधिवक्ता।

निर्णय

माननीय श्री एनके. सोधी

(1) याचिकाकर्ता ने डी. ए. वी. कॉलेज, सेक्टर 10, चंडीगढ़ से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित अखिल भारतीय वरिष्ठ विद्यालय प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण की है। वह एक खिलाड़ी होने का दावा करता है। जुलाई, 1999 में आयोजित चंडीगढ़ राज्य राइफल शूटिंग चैंपियनशिप में तीसरा स्थान प्राप्त करने के लिए उन्हें चंडीगढ़ राइफल एसोसिएशन द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है। उन्होंने अक्टूबर, 1999 में अहमदाबाद में आयोजित नौवीं जी. वी. मावलंकर राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में भाग लेने का भी दावा किया। निशानेबाजी की स्थिति में उनकी उपलब्धियों के आधार पर चंडीगढ़ प्रशासन खेल निदेशालय ने उन्हें खेल श्रेणी जारी की है।

परमवीर सिंह बनाम पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ और अन्य 393 (माननीय एन. के. सोधी, जे.) पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज, चंडीगढ़ (इसके बाद कॉलेज के रूप में संदर्भित) और पंजाब विश्वविद्यालय के रसायन इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी विभाग (संक्षेप में विश्वविद्यालय) में विभिन्न इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में ग्रेड सी-आई. आई. एल. में प्रवेश प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय द्वारा 19 मई और 20 मई, 2000 को आयोजित एक सामान्य प्रवेश परीक्षा के आधार पर बनाया जाना था, बशर्ते कि उम्मीदवार विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पात्रता शर्तों के संदर्भ में संस्थान में प्रवेश के लिए पात्र हों। शैक्षणिक सत्र 2000-2001 के लिए कॉलेज में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए पात्र होने के कारण, याचिकाकर्ता ने विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सामान्य प्रवेश परीक्षा दी। उन्होंने 360 में से 76.75 अंक प्राप्त किए और योग्यता सूची में उनकी रैंक 7380 थी। उन्हें 17 जून, 2000 को परिणाम कार्ड जारी किया गया था। जिन उम्मीदवारों को परिणाम कार्ड जारी किए गए थे। कॉलेज में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए आवेदन करने के लिए सामान्य प्रवेश परीक्षा की आवश्यकता थी, जिसके लिए विश्वविद्यालय ने एक संयुक्त प्रवेश विवरणिका जारी की थी। विवरणिका के अनुसार संबंधित महाविद्यालय/विभाग में पूर्ण आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि 30 जून, 2000 से शाम 5 बजे तक थी। विवरणिका में विशेष रूप से यह प्रावधान किया गया था कि उम्मीदवारों द्वारा परिणाम कार्ड प्राप्त करने की तारीख की परवाह किए बिना आवेदन इस तारीख तक संबंधित कॉलेज तक पहुंचना चाहिए। 2% महाविद्यालय में कुल सीटों में से याचिकाकर्ता जैसे खिलाड़ियों के लिए आरक्षित थीं और ये सीटें कुल 7 के लिए आरक्षित थीं। याचिकाकर्ता ने कॉलेज में प्रथम वर्ष के इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीट के लिए प्रवेश के लिए आवेदन किया और विवरण पत्रिका में निर्धारित समय के भीतर खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र के साथ अपना आवेदन जमा किया। विवरणिका का सुसंगत खंड 2.2.5.3 निम्नानुसार है:

“खेल श्रेणी के उम्मीदवार खेल निदेशक, केंद्र शासित प्रदेश, चंडीगढ़ से ग्रेडेशन प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और इसे प्रवेश आवेदन के साथ संलग्न करेंगे। ग्रेडेशन सर्टिफिकेट के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद कोई श्रेणीकरण प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा।”

उत्तरदाता नं. 4 जिन्होंने सामान्य प्रवेश परीक्षा में अर्हता प्राप्त की थी, उन्होंने भी खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीट के खिलाफ कॉलेज में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया था। उन्होंने 29 जून, 2000 को अपने पिता के एक आवेदन के साथ अपना आवेदन प्रस्तुत किया कि साइकिल चलाने की स्थिति में ग्रेड बी-III में उनका खेल ग्रेडिंग प्रमाण पत्र अभी भी खेल ग्रेडेशन समिति द्वारा अनुमोदन के बाद चंडीगढ़ प्रशासन के खेल विभाग की मंजूरी के तहत है। दूसरे शब्दों में, प्रवेश के लिए आवेदन पत्र के साथ उपरोक्त खंड द्वारा आवश्यक खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र नहीं था। चूंकि इस प्रमाण पत्र के अनुदान में कुछ और समय लगने की संभावना थी, इसलिए

प्रत्यर्थी के पिता ने 14 जुलाई, 2000 को या उसके आसपास कॉलेज के प्राचार्य को सूचित किया कि प्रत्यर्थी सं. माउंट बाइक साइक्लिंग में 4 अभी भी विचाराधीन था और इसलिए, 2 जून, 2000 को खेल श्रेणीकरण समिति द्वारा जारी क्रिकेट में सी-II के उनके निम्न श्रेणी के प्रमाण पत्र को परामर्श के समय प्रवेश के लिए ध्यान में रखा जा सकता है। खिलाड़ियों के लिए आरक्षित सीटों पर प्रवेश के लिए परामर्श 18 जुलाई, 2000 को विश्वविद्यालय सभागार, सेक्टर 14, चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था। प्रतिवादी सं. के साथ याचिकाकर्ता। 4 और अन्य योग्य उम्मीदवार परामर्श के लिए उपस्थित हुए। प्रधानाचार्य ने प्रतिवादी नं. 2 द्वारा प्रस्तुत क्रिकेट में सी-2 प्रमाण पत्र पर विचार किया। 4 और चूंकि यह याचिकाकर्ता को दिए गए सी-III प्रमाण पत्र की तुलना में ग्रेडिंग में अधिक था, इसलिए उन्होंने प्रतिवादी नं. 4 याचिकाकर्ता की वरीयता में यह प्रतिवादीगण की यह कार्रवाई नहीं है। 1 और 2 जिसे अब संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत दायर इस याचिका में हमारे सामने चुनौती दी गई है।

(2) हमने पक्षकारों के वकीलों को सुना तथा हमारा ये मानना है कि यह रिट याचिका सफल होने के योग्य है। इस तथ्य में कोई संदेह नहीं है कि याचिकाकर्ता ने निर्धारित समय के भीतर खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र के साथ पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अपना आवेदन दायर किया था और यह हर तरह से पूरा था। उत्तरदाता नं. दूसरी ओर, 4 ने 29 जून, 2000 को प्रवेश के लिए आवेदन किया था, जो आवेदन हालांकि समय के भीतर विवरण पत्रिका के खंड 2.2.5.3 द्वारा आवश्यक खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र के साथ नहीं था। यह प्रमाण पत्र अपने स्वयं के प्रदर्शन पर उनके द्वारा 18 जुलाई, 2000 को परामर्श के समय प्रस्तुत किया गया था। चूंकि प्रत्यर्थी का आवेदन सं 4 पूर्ण नहीं था, उसी पर विवरण पत्रिका के उपरोक्त खंड के संदर्भ में विचार नहीं किया जाना चाहिए था, चाहे उम्मीदवार की योग्यता कुछ भी हो। उत्तरदाता सं. द्वारा प्रस्तुत ओ. आई. एल. प्रमाण पत्र हो सकता है। 4 याचिकाकर्ता की तुलना में ग्रेड में उच्च था, लेकिन वह उसे प्रवेश का हकदार नहीं बनाएगा क्योंकि वह आवेदन के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी तरह का सवाल मनीष नंदा बनाम पंजाब राज्य और 1996 की अन्य सिविल रिट याचिका 12164 में इस अदालत की एक खंड पीठ के समक्ष उठा, जिसका फैसला 11 सितंबर 1996 को किया गया था। याचिकाकर्ता ने उसमें एक इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आवेदन किया और एक खिलाड़ी के लिए आरक्षण का लाभ मांगा। विवरण पत्रिका के अनुसार खेल निदेशक, पंजाब द्वारा जारी खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र 'खेल श्रेणी' के तहत आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत किया जाना था। यह प्रमाण पत्र आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया था, हालांकि इसे परामर्श के समय प्रस्तुत किया गया था। याचिकाकर्ता को उसमें स्वीकार नहीं करने की प्रतिवादीगण की कार्रवाई को इस अदालत के समक्ष चुनौती दी गई थी और पक्षों के अभिवचनों से विचार के लिए जो सवाल उठा था वह यह था कि क्या विवरण पत्रिका में उल्लिखित प्रमाण पत्रों के उत्पादन से संबंधित आवश्यकता है।

एक विशेष समय तक निर्देशिका या अनिवार्य था। समय की इस आवश्यकता को अनिवार्य माना गया और मुख्य न्यायाधीश के. श्रीधरन ने अमरदीप सिंह सहोता बनाम पंजाब राज्य मामले में इस न्यायालय के पूर्ण पीठ के फैसले का उल्लेख करने के बाद कहा:

“हम कानून के उक्त कथन से बंधे हैं और हम इस आधार पर आगे बढ़ते हैं कि प्रतिवादीगण द्वारा जारी विवरण पत्रिका (प्रवेश विवरणिका-सह-आवेदन प्रपत्र) में निहित प्रावधान याचिकाकर्ता के अधिकारों को नियंत्रित करते हैं। इस मामले में, चूंकि याचिकाकर्ता ने उक्त विवरण पत्रिका के प्रावधानों का पालन नहीं किया, क्योंकि वह आवेदन के साथ खेल श्रेणीकरण प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति जमा करने में विफल रहा, इसलिए उसे अस्वीकार किया जा सकता था।”

(3) इसी तरह का एक प्रश्न इस न्यायालय की पूर्ण पीठ के समक्ष *सचिन गौर बनाम पंजाबी विश्वविद्यालय, पटियाला और अन्य* (2) मामले में उठा, जिसमें यह निर्धारित किया गया था कि "प्रवेश के लिए एक कट ऑफ तिथि प्रदान की जानी चाहिए और इसे बाद में नहीं बदला जा सकता है।" विद्वान न्यायाधीशों द्वारा यह भी निर्धारित किया गया था कि एक संस्थान को अनिवार्य रूप से प्रवेश के लिए एक कट ऑफ तिथि निर्धारित करनी होगी क्योंकि इसे निर्धारित नहीं करने से अनिश्चित काल के लिए प्रवेश को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा। इसलिए, वर्तमान मामले में यह भी अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए कि प्रतिवादीगण सं. 1 और 2 की कार्रवाई प्रतिवादीगण सं. 4 विवरणिका के प्रावधानों के विपरीत होना अवैध है और इसे कायम नहीं रखा जा सकता है।

(4) समापन करने से पहले, हम राजीव कपूर और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य (3) मामले में उच्चतम न्यायालय के नवीनतम निर्णय का उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा तर्क के दौरान यह तर्क देने के लिए संदर्भ दिया गया था कि विवरण पत्रिका में निहित प्रावधान पवित्र नहीं हैं और इसलिए, उत्तरदाताओं को प्रतिवादीगण सं. 4 आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद भी। हमने शीर्ष न्यायालय के निर्णय को सावधानीपूर्वक देखा है और हमारा विचार है कि विद्वान न्यायाधीशों ने यह अभिनिर्धारित नहीं किया है कि विवरण पत्रिका में निहित प्रावधानों को मंजूरी दी जा सकती है। उस मामले में विवाद शैक्षणिक सत्र 1997 के लिए हरियाणा सिविल चिकित्सा सेवा के उम्मीदवारों के

- (5) 1993 (2) पीएलआर 212
- (6) 1996 (1) आरएसजेआई
- (7) 2000 (2) एसएलआर 603।

(8) बीच से चिकित्सा में स्नातकोत्तर डिग्री और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के संबंध में था। इस अदालत ने अभिनिर्धारित किया कि राज्य सरकार द्वारा 21 मई, 1997 को जारी किए गए निर्देश विवरण पत्रिका के उल्लंघन में थे और इसलिए, उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने पाया कि 21 मई, 1997 का आदेश केवल पहले के निर्देशों की निरंतरता में था

20 मार्च, 1996 और 21 फरवरी, 1997 को जारी किया गया था, जिसे न केवल विवरण पत्रिका में प्रविष्टियां करने के लिए विश्वविद्यालय को भेजा गया था, बल्कि उससे पहले जारी किया गया था, जिसका उम्मीदवारों को प्रवेश देने के लिए पालन करना था। अमरदीप सिंह सहोता के मामले (ऊपर) में इस अदालत का यह विचार कि अध्ययन के पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए जारी विवरण-पत्र में कानून की शक्ति है और यह कि राज्य सरकार इसके विपरीत निर्देश जारी करने के लिए तैयार नहीं है, वापस नहीं लिया गया है। राजीव कपूर का मामला (ऊपर) पूरी तरह से अलग-अलग तथ्यों पर आधारित है और प्रतिवादीगण के मामले को आगे नहीं बढ़ाता है।

(5) आई. एन. आर. 1 के परिणाम में, "रिट; याचिका की अनुमति दी जाती है-प्रतिवादी संख्या 4 को दी गई अनुमति रद्द कर दी जाती है। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 को खेल श्रेणीकरण में उनकी योग्यता के आधार पर खेल श्रेणी में प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों में से परिणामी रिक्ति को भरने का निर्देश दिया जाता है। लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अतुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा।

हरिकिशन
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

गुरुग्राम हरियाणा